

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Writ Petition No. 1705/2026

Sameer Khan S/o Shri Hakam Ali Khan, Aged About 30 Years,
Resient Of Bypass Road, Near Kohinoor Dharam Kanta,
Wardno.7, Town Sujangarh, District Churu Raj. Mobile
No.8619182301 E-Mail Id Sk8619182301@gmail.com

----Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, through PP
2. Union Of India, Through The Regional Passport Officer,
Jaipur, Regional Passport Office, Jaipur

----Respondents

For Petitioner(s) : Ms. Pinky Borana
Mr. Aziz Khan

For Respondent(s) : Mr. Surendra Bishnoi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE FARJAND ALI

Order

22/04/2026

यह याचिका अभी याची की ओर से विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.08.2025 के संबंध में प्रस्तुत की गई, जिसके द्वारा कोई आपराधिक प्रकरण के लंबित रहते विदेश जाने की अनुमति कतिपय शर्तों के आधार पर प्रदान की गई है।

सुना गया।

विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों तथा याची की परिस्थितियां विशेषकर यह स्थिति कि वह व्यवसायिक कार्य से विदेश जाने की अनुमति चाहता है, को ध्यान में रखते हुए याची की प्रार्थना को स्वीकार किया गया है और उसमें दो शर्तें आयद की है। निश्चित रूप से याची को इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके विरुद्ध भारतवर्ष में हस्तगत प्रकरण के अलावा अन्य कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है, न पंजीबद्ध हुआ है। इसके साथ ही उसे इस अभिप्राय का वचन भी

देना होगा कि जब भी न्यायालय की कार्यवाही में आवश्यकता होगी तो वह उसे आहूत किये जाने पर उपस्थित न्यायालय हो जाएगा। हमारी राय में दोनों शर्तें उचित हैं, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। न्याय की दृष्टि से यह स्पष्ट करना उचित होगा कि पासपोर्ट अधिकारी याची के पक्ष में पासपोर्ट को 10 वर्ष के लिए नियमानुसार नवीनीकृत करें।

अतः इस प्रकार यह आपराधिक रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(FARJAND ALI),J